

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 259वीं बैठक दिनांक 13 मार्च 2023 का कार्यवृत्त


उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 259वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,	अध्यक्ष
2. श्री रणवीर प्रसाद,	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3. श्री रंजन कुमार	सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
4. डा० नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सचिव
5. श्री धर्मेन्द्र वर्मा,	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6. श्री डी०वी० सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7. श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
8. श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्र०, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
9. श्री के० मोहन	नगर नियोजक, प्रतिनिधि, सी०टी०सी०पी०	सदस्य
10. श्री अजय कुमार सिंह,	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, ल०वि०प्र०	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा० अध्यक्ष महोदय एवं मा० सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:-

विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
259/1	परिषद की 258वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 258वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
259/2	परिषद की 258वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2023 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 258वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
259/3	परिषद के आदेश संख्या 90/ अनुशा०-28/2018(3392)दिनांक-20-04-18 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री के०सी० त्रिपाठी, तत्कालीन निलम्बित प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, फिरोजाबाद के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में, जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या में आरोप सिद्ध पाये जाने तथा मा० परिषद की 257वीं बैठक दिनांक. 02-11-2022 के मद संख्या 257/5 पर मा० परिषद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण में 'सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए' के अन्तर्गत श्री के०सी० त्रिपाठी, तत्कालीन निलम्बित प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक सम्पत्ति सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक की पेंशन से 10	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	प्रतिशत पेंशन कटौती स्थाई रूप से किये जाने का दण्ड देते हुये उनके विरुद्ध गठित उक्त विभागीय जाँच को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।		
259/4	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार, अधीक्षण अभियन्ता-रूहेलखण्ड वृत्त, मुरादाबाद के विरुद्ध परिषद के आदेश संख्या 1042/अनुशा0-05/2023(3855) भाग-02 द्वारा गठित विभागीय जांच की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/5	श्री राजेश कुमार मेहतानी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को परिषद में ओ.एस.डी. के पद पर एक वर्ष के लिए अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/6	श्री हरि ओम गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को परिषद में ओ.एस.डी. पद पर एक वर्ष के लिए अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता का सेवाकाल एक वर्ष (दिनांक 01-04-2023 से 31-03-2024) तक के लिए विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/8	अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने हेतु डा0 राजेश नाथ त्रिपाठी, सेवानिवृत्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को परिषद हित में ओ0एस0डी0-अयोध्या के पद पर पुनः एक वर्ष (दिनांक 01-04-2023 से 31-03-2024) तक के लिए अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/9	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में स्थापित विधि अनुभाग में ओ0एस0डी0 विधि का सेवाकाल एक वर्ष (दिनांक-01-04-2023 से 31-03-2024) तक के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/10	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में लेखा संवर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग के अवधि के लिए अवधि के लिए फिक्स मानदेय पर, संविदा पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 

259/11	श्री शिव बहादुर, सेवानिवृत्त चकबन्दी कर्ता, राजस्व विभाग (चकबन्दी) एवं श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त लेखपाल, राजस्व विभाग (चकबन्दी) को सेवानिवृत्त के पश्चात उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में फिक्स मानदेय पर एक वर्ष के लिए संविदा पर अनुबन्धित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/12	जनपद गाजियाबाद के परगना लोनी ग्राम भौपुरा के गाटा संख्या-153 व 154 की परिषद से अनापत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित, साथ ही प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में मा0 याचिका समिति को भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
259/13	लखनऊ में अति विशिष्ट सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत 5000 लोगों हेतु कन्वेंशन सेन्टर प्रस्तावित किये जाने हेतु पी0पी0पी(पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अन्तर्गत कार्यों के निमित्त कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति/चयन हेतु आर0एफ0पी0 सम्बन्धी प्रस्ताव।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्रुत प्रकरण में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये जिनको आर0एफ0पी0 में समाहित किये जाने के निर्देश सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/14	वित्तीय वर्ष 2022.23 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2023.24 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	वित्त एवं लेखा	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
259/15	परिषद के आदेश सं0-311/अनुशा0-25/2020 (3634) दिनांक 02-02-20221 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री रामायण शरण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-37, गोरखपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच, समाप्त किये जाने हेतु परिषद के निर्गत आदेश सं0-1107/अनुशा0-25/2020(3634) दि० 06-03-2023 अवलोकन/अनुमोदन के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुमोदित.



(नितिन रमेश गोकर्ण)

अध्यक्ष

